भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1377

गुरूवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

महिला संबंधी रोजगार को बढ़ावा देना

1377. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बड़ी संख्या में महिलाओं को 'नियोजित' के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, जबकि वे बिना वेतन वाले या अनौपचारिक घरेलू आधारित कार्य में संलग्न हैं;

(ख) ऐसे मामलों में 'रोज़गार' को परिभाषित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंड क्या हैं और क्या अवैतनिक श्रम को गलत तरीके से लाभकारी रोज़गार के रूप में गिना जा रहा है;

(ग) क्या हाल के वर्षों में आंकड़े महिलाओं के बीच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अवैतनिक श्रम में वृद्धि दर्शाते हैं और यदि हाँ, तो इस चिंताजनक रुझान के क्या कारण हैं; और

(घ) महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देने का दावा करने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के बावजूद, महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में लगातार दीर्घकालिक गिरावट के क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, रोजगार और बेरोज़गारी सर्वेक्षण के लिए, कामगार (या नौकरीशुदा) वे लोग हैं जो किसी भी आर्थिक गतिविधि में लगे हुए थे, जिससे ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है जो राष्ट्रीय उत्पाद में वैल्यू जोड़ते हैं।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष

और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए 2017-18 में 22.0% से बढकर 2023-24 में 40.3 % हो गया है। इसके साथ ही, इसी अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए डब्ल्यूपीआर 23.7% से बढकर 46.5% तथा शहरी क्षेत्रों में 18.2% से बढकर 26.0% हो गया।

इसके अलावा, नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है। ऊपर दिए गए आंकडों से पता चलता है कि इस अवधि में महिलाओं के लिए रोज़गार को दर्शाने वाले कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) दोनों में वृद्धि हुई है।

*****